

डेंगू से बचाव हेतु प्रत्येक झोन में एक-एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव प्रारंभ

निगम आयुक्त श्री झारिया ने कीटनाशक दवा छिड़काव हेतु वाहनों को रवाना किया

रतलाम 05 सितम्बर। कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नागरिकों को मच्छर जनित डेंगू व मलेरिया जैसी बीमारी से बचाव हेतु नगर में फॉगिंग मशीन से किये जा रहे कीटनाशक दवा छिड़काव के कार्य में वृद्धि करते हुए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने प्रत्येक झोन के लिए एक-एक डबल बैरल फॉगिंग मशीनों को कीटनाशक दवा छिड़काव हेतु रवाना किया।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने इस अवसर पर बताया कि शहर में बढ़ रहे डेंगू व मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों पर नियंत्रण हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार फॉगिंग मशीन में वृद्धि की है जिसके तहत एक और नवीन डबल बैरल फॉगिंग मशीन प्राप्त हो चुकी है। अब शहर के सभी चार जोन में एक-एक मशीन से दवा का छिड़काव किया जायेगा जिसकी शुरुआत आज नगरनिगम व मलेरिया विभाग द्वारा प्रारंभ कर दी गई है। रूट चार्ट अनुसार अब सुबह 05:30 से 08:00 बजे तक व शाम को 06:00 से रात 10:00 बजे तक शहर के चारो जोन में अलग-अलग कॉलोनियों में फॉगिंग मशीन से दवा का छिड़काव किया जाएगा। दवा छिड़काव के पूर्व संबंधित क्षेत्रों में एलान किया जायेगा।

इस अवसर पर उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, कार्यपालन यंत्री श्री जी.के. जायसवाल, जिला मलेरिया अधिकारी डॉ० प्रमोद प्रजापति, उपयंत्री श्री राजेश पाटीदार, श्री मनीष तिवारी, झोन प्रभारी सर्वश्री पर्वत हाड़े, किरण चौहान, विनय चौहान, विराट मेहरा, मलेरिया विभाग के सर्वश्री सुनील दुबे, लक्ष्मीनारायण भाटी, जालम सिंह परिहार आदि उपस्थित थे।

वार्ड 39 के प्रभारी विजय खरे निलंबित

रतलाम 05 सितम्बर। वार्ड क्रमांक 39 अन्तर्गत नजरबाग बैंक कालोनी क्षेत्र के रहवासियों द्वारा व्हाट्स एप पर गंदगी होने की शिकायत करने व फोटोग्राफ अपलोड करने से निगम की छवि धूमिल होने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने वार्ड प्रभारी विजय खरे को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जुलवानिया ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण केन्द्र रहेगा।

अनिल चनाल को वार्ड क्रमांक 37 के प्रभारी का दायित्व सौंपा

रतलाम 05 सितम्बर। कार्य व्यवस्था एवं प्रशासकीय सुविधा की दृष्टि से निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने श्री अनिल-प्रभुलाल चनाल को वार्ड क्रमांक 37 के वार्ड प्रभारी का दायित्व सौंपा है जो स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशानुसार वार्ड प्रभारी का कार्य संपादित करेंगे।

अशोक (गौरव) –संजय पैमाल सेवा से बर्खास्त

रतलाम 05 सितम्बर। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नगर निगम परिसर के दैनिक वेतन भोगी दरोगा अशोक (गौरव)–संजय पैमाल द्वारा दैनिक वेतन भोगी कचरा संग्रहण ड्रायवर शुभम् चनाल पर धारदार हथियार से हमला करने पर तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त किया।

नगर निगम परिसर के दैनिक वेतन भोगी दरोगा अशोक (गौरव)–संजय पैमाल द्वारा दैनिक वेतन भोगी कचरा संग्रहण वाहन ड्रायवर शुभम् चनाल पर धारदार हथियार से हमला किया गया। हमले के बाद घायल ड्रायवर शुभम् चनाल को जिला चिकित्सालय में उपचार हेतु

भर्ती करवाया गया। निगम आयुक्त श्री झारिया ने जिला चिकित्सालय जाकर घायल कर्मचारी श्री चनाल को देखा व इसकी सूचना कलेक्टर एवं प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम को दी। अशोक (गौरव)—संजय पैमाल द्वारा किये गये उक्त कृत्य व हमले की पुलिस एफआईआर दर्ज होने को गंभीर कदाचरण की श्रेणी में लेते हुए तत्काल प्रभाव सेवा से बर्खास्त किया गया।

गाय व अन्य पशुओं के तबेले व बाड़े 7 सितम्बर तक स्वयं हटा लेवें
समयावधि पश्चात नगर निगम द्वारा तोड़े जायेंगे तबेले व बाड़े
वसूल की जायेगी 15 हजार रुपये प्रति घंटा के मान से तोड़ने की राशि

रतलाम 5 सितम्बर | रतलाम शहर में गाय व अन्य मवेशियों के बाड़े एवं तबेले मवेशी पालक द्वारा 7 सितम्बर मंगलवार तक हटाने के निर्देश कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम ने गवली समाज व अन्य पशु पालकों को दिये।

नगर निगम सभागृह में 04 सितम्बर शनिवार को कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री पुरुषोत्तम द्वारा नागरिकों नगर निगम से संबंधित शिकायतें सुनने व निराकरण करने के दौरान गवली समाज व अन्य पशु पालकों द्वारा अपने बाड़े व तबेले स्वयं तोड़े जाने हेतु समय की मांग किये जाने पर कलेक्टर एवं प्रशासक श्री पुरुषोत्तम ने उन्हें 3 दिवस का समय दिया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशी व उनके बाड़े व तबेलों शहर तो गंदा होता ही है साथ ही उत्पन्न गंदगी से मच्छर पैदा होते हैं जिससे नागरिकों को मच्छर जनित बीमारियों का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में डेंगू के प्रकोप शहर में बढ़ता जा रहा है इस पर काबू पाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा संपूर्ण शहर में कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है साथ ही निगम एक्ट के विरुद्ध शहर में संचालित गाय, भैंस, सूअर व अन्य पशुओं के तबेले एवं बाड़े तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। मवेशी पालकों के अनुरोध पर उन्हें तीन दिवस का समय दिया गया है नियत समयावधि में मवेशी पालक द्वारा तबेले व बाड़े स्वयं नहीं हटाते हैं तो उन्हें नगर निगम द्वारा तोड़ा जाकर 15 हजार रुपये प्रतिघन्टा के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जावेगी।

नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन किया जा रहा है वजन
5 सितम्बर को 72 टन कचरा जुलवानिया पहुंचा

रतलाम 05 सितम्बर | निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पहुंचाया जा रहा है जिसके तहत 05 सितम्बर रविवार को 72 टन कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पहुंचाया गया।

05 सितम्बर रविवार को डम्पर व ट्रेक्टर से 41560, काम्पेक्टर सूखा कचरा 20425, काम्पेक्टर गीला 10325 किलो इस तरह कुल 72310 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पहुंचाया गया।

अतिक्रमण व गंदगी करने पर 4 व्यक्तियों पर जुर्माना
गंदगी करने वालों की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 05 सितम्बर | कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर अतिक्रमण करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 05 सितम्बर को 4 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार मित्र निवास कालोनी में गली में लेट-बाथ बनाकर अतिक्रमण करने पर हमीद खान शैरानी का अतिक्रमण हटाकर 15000 की राशि का जुर्माना किया गया। इसके अलावा भवन निर्माण सामग्री व मलबे से अतिक्रमण करने पर दिलीप पावेचा नाहरपुरा गली नम्बर 2 पर 2000, खुले में गंदगी करने पर नेहा किराना स्टोर व नेहा गेलेक्सी सेंटर पर 100-100 रुपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि शहर को गंदा करने वाले नागरिकों, दुकानदारों आदि की जानकारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए. पी. सिंह मो. नं. 7471144930, झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े मो. नं. 7471144931, श्री किरण चौहान मो.नं. 7471144932, श्री विनय चौहान मो.नं. 8770535145, श्री विराट मेहरा 9770326691, स्पॉट फाईन दल के पवन झांझोट मो.नं. 7000128812, आकाश शिन्दे मो.नं. 9424075393, 7724981736 मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110, राकेश ललावत मो.नं. 7000128812 को देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

980 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 05 सितम्बर | नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हें प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होंने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हें संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु राशि रुपये 10,000/- ब्याज मुक्त ऋण हेतु 2429 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये है जिसमें से 1245 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके है तथा 962 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। इसी तरह द्वितीय कार्यशील पूंजी हेतु राशि रुपये 20,000/- ब्याज मुक्त ऋण हेतु 58 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये है जिसमें से 43 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके है तथा 18 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

नगर निगम द्वारा नगरीय क्षेत्र रतलाम के पथ विक्रेताओं से अपील की जाती है कि जिन्हें प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना अन्तर्गत राशि रुपये 10,000/- का ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा ऐसे पथ विक्रेता जिन्हें प्रथम कार्यशील पूंजी राशि रुपये 10,000/- का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त हो चुका है व जमा करा दिया है वे द्वितीय कार्यशील पूंजी राशि रुपये 20,000/- का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु नगर निगम के झोन कार्यालय अलकापुरी कम्युनिटी हॉल, डॉ0 अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड, अमृत सागर उद्यान व हरमाला पम्प हाउस कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर शीघ्र ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पथ विक्रेता को आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

नगर निगम के पेंशनरो को देना होगा जीवित प्रमाण-पत्र

रतलाम 05 सितम्बर। संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल के निर्देशानुसार नगरीय निकायों के पेंशनरों को प्रत्येक वर्ष के माह दिसम्बर में जीवित प्रमाण-पत्र लिया जावेगा।

नगर पालिक निगम रतलाम के समस्त पेंशनरों से अपील की जाती है कि वे माह दिसम्बर 2021 से प्रत्येक वर्षान्त में जीवित प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में निगम की पेंशन

शाखा में अनिवार्य रूप से जमा करावें जीवित प्रमाण—पत्र नहीं जमा कराने पर जनवरी से पेंशन भुगतान नहीं किया जावेगा।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 05 सितम्बर । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हों। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 05 सितम्बर। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 05 सितम्बर । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

